(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू

रामलाल वगै0 बनाम लाभचन्द

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 45 सन् 2024

2024/181

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
22.05.24	पत्रावली रिपोर्ट होकर पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर तलबी समन प्रतिपक्षीगण जरिये रजिस्टर्ड एडी0 जारी हो। पत्रावली दिनांक 11.06.2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टोंक)	
11/06/24	पत्रावली पेश हुई। अभिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ. साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली [illegible] आदेशिका अनुसार दिनांक 26/06/24 पेश हो। (हस्ताक्षर)	
26/06/24	पत्रावली पेश हुई। अभिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ. साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली [illegible] आदेशिका अनुसार दिनांक 12/07/24 पेश हो। (हस्ताक्षर)	
12/7/24	पत्रावली पेश हुई। अभिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ. साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली [illegible] आदेशिका अनुसार दिनांक 16/7/24 पेश हो। (हस्ताक्षर)	
16/07/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप.। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 16.08.2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
16/8/24	पत्रावली पेश हुई। अभिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ. साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली [illegible] आदेशिका अनुसार दिनांक 10/10/24 पेश हो। (हस्ताक्षर)	

10/10/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली ता आवेशिका अनुसार दिनांक 25/02/25 पेश हो।

Ram

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली ता आवेशिका अनुसार दिनांक 25/2/25 पेश हो।

Ram

25/02/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप./समन/नोटिस आवश्यक रूप से पेश हो। पत्रावली दिनांक 03.04.25 को पेश हो।

3/4/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली पत्र आवेशिका अनुसार दिनांक 24/6/25 पेश हो।

रामलाल वगै0 बनाम लाभचन्द उर्फ सुशील कुमार वगै0

45/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर, तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
20.06.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस हेतु निवेदन किया कर कथन किया की भूमि आराजी ख0न0 606 रकबा 4.6534 हैक्ट. वको ग्राम गोहनाबाद, पटवार हल्का पीपलू द्वितीय में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात के साबिक ख0न0 175 मिन थे, जो राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 लागू होने के समय नवाब मोहम्मद वजीर खां के नाम खातेदारी दर्ज थी। जिसे प्रार्थीगण के पूर्वजो ने नो–तोडकर काबिल काश्त योग्य बनाया है एवं नवाब साहब की सहमति से खेती करना प्रारम्भ किया था। प्रार्थीगण उक्त आराजीयात के उपकृषक थे। उक्त वर्णित आराजीयात को बिना विक्रयपत्र के ही सेटलमेंट के समय सेटलमेंट के अधिकारियो व कर्मचारियो के द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया। जिसकी वजह से राजस्व रिकॉर्ड में आज तक गलत इन्द्राज अप्रार्थी संख्या 01 के नाम अंकित चला आ रहा है। प्रार्थीगण के पूर्वज उपकृषक थे। जिनमे कदीमी कब्जे काश्त के आधार पर स्वतः ही खातेदारी अधिकार अर्जित हो चुके थे, किन्तु उनके अनपढ होने और कानूनी जानकारी नही होने के कारण तत्समय उनके द्वारा उक्त वर्णित आराजी को अपने नाम खातेदारी में दर्ज किये जाने हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नही किया और ना ही किसी प्रकार की कार्यवाही की है। प्रार्थीगण के पूर्वजो का देहान्त हो चुका है और आराजी पर प्रार्थीगण काबिज है। जिन्हे ना तो नवाब साहब द्वारा और ना ही गलत रूप से खातेदारी प्राप्त करने वाले खातेदार अप्रार्थी संख्या 01 लाभचन्द द्वारा आज दिनांक तक बेदखल किये जाने अथवा कब्जा प्राप्त किये जाने संबंधी किसी प्रकार की कोई कार्यवाहीं प्रार्थीगण के विरूद्व नही की गई। जिसकी वजह से प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार स्वत् ही निर्वापित होकर प्रार्थीगण के हक में निहित हो गये और आराजी के वास्तविक रूप से मालिक, काबिज, स्वामी प्रार्थीगण बन चुके है। प्रकरण में प्रतिपक्षीगण की बार–2 तामिल नोटिस प्रस्तुत किये जा रहे है, लेकिन प्रतिपक्षीगण प्रकरण को अनावश्यक विलम्ब कारित करने के उद्देश्य से तामिल से बचा जा रहा है। लेकिन अब प्रतिक्षीगण राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटीपूर्ण अंकन के आधार पर उक्त वर्णित आराजीयात को अन्य लोगो को बेचान करने तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे मजामहत व मदाखलत करने पर आमादा है। जिसका प्रतिपक्षीगण को कोई वैधानिक अधिकार नही है। अतः प्रतिपक्षीगण को जरिये	

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

प्रकरण में प्रस्तुत प्रा0पत्र का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थीगण के हक में प्रतीत होता है। अतः प्रतिपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी पेशी तक पाबन्द किया जाता है की वे भूमि आराजी ख0न0 606 रकबा 4.6534 हैक्ट. वाके ग्राम मोहनाबाद पटवार हल्का पीपलू द्वितीय में राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिती बनाये रखे। प्रतिपक्षीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड एडी0 जारी हो। यदि इस आदेश के जारी होने में आपत्ति हो तो प्रतिपक्षीगण नियत तिथि पर उपस्थित होकर उज्र पेश करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 15.07.2025 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

15/07/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप.। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु नियत है। अतः तामिल नोटिस आवश्यक रूप से पेश हो। पत्रावली दिनांक 01.10.25 को पेश हो।

05/08/25 प्रा.पत्र विड्रो किये जाने प्रा.पत्र व मिसल तलब किये जाने बाबद प्रस्तुत होने पर पत्रावली आज दिनांक को पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा.पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की उक्त जमीनी प्रकरण मे पक्षकारान के बीच राजीनामा हो चुका है। प्रतिपक्षी वादग्रस्त आराजीयात का विक्रयपत्र वादीगण/प्रार्थीगण के हक मे कराने हेतु सहमत हो चुका है। इस कारण प्रस्तुत प्रा.पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा इसी स्तर पर ड्रोप किये जाने का आदेश प्रदान करे।

पत्रावली का व प्रस्तुत प्रा.पत्र विड्रो किये जाने बाबद का अवलोकन किया

APP-A
Crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत...मुकाम...

....बनाम...

किस्म मुकदमा...नं...सन्...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सुना। प्रस्तुत प्रा.पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो एवं नियमानुसार नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टोंक)	